

परियोजना का नाम:— जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

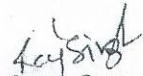
वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव-गौण्डार (कुल आबादी 242) वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा प्राप्त करने जहां विद्यार्थियों को प्रतिदिन 6.50 कि०मी० पैदल चलकर ग्राम रांसी आना पड़ता है वहीं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिये ग्राम रांसी से 25 कि०मी० दूर ऊखीमठ आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को 6.50 कि०मी० की पैदल दूरी तय करने से राहत मिलेगी तथा आम जनता का तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय आदि से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। इस मोटर मार्ग से मदमहेश्वर घाम जाने का 16 कि०मी० पैदल मार्ग भी घटकर 9.5 कि०मी० ही रह जायेगा जो कि अधिक श्रद्धालुओं को प्रेरित कर पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र में होना है उसका अधिकतम भाग केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण में है जिस हेतु भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति ले ली गयी है (प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ संलग्न है)। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिविल वन भूमि तथा नाप भूमि है। मोटर मार्ग के समरेखण में आवश्यक स्थानों पर नाप भूमि ली गयी है परन्तु समरेखण में ली गयी आरक्षित वन भूमि एवं सिविल वन भूमि अपरिहार्य है।

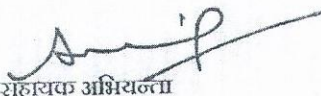
अतः ली गयी 4.005 हे० वन भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विषेश ध्यान रखा गया है कि समरेखण पर कम से कम वन भूमि पड़े तथा कम से कम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।


अमीन

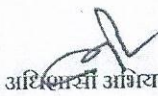
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



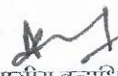
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



प्रभारणीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर